File No. WMS-23011/1/2025-WMS

THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Workshop and Maintenance Section)

ADVISORY

Sub: Advisory regarding prohibition of Single-Use Plastics (SUP) in the NIHFW Campus with effect from **02 October 2026**.

In pursuance of the Government of India's initiatives for environmental protection, sustainable waste management, and reduction of plastic pollution, it is proposed to prohibit the use of **Single-Use Plastics (SUP)** throughout the NIHFW campus **with effect from 02 October 2026**.

2. As an initial step, this Advisory is being issued to inform all officers, officials, faculty members, students, trainees, residents, visitors, vendors, contractors, and other stakeholders to make the necessary preparations well in advance and adopt suitable eco-friendly alternatives before the restrictions come into force.

3. Accordingly, all concerned are advised to take the following measures:

i) Avoid the use of plastic carry bags, disposable plastic cups, glasses, plates, cutlery, straws, stirrers, and packaged plastic water bottles within the campus.

ii) Prefer reusable items such as steel or glass utensils, reusable water bottles, cloth or jute bags, and other environmentally friendly alternatives.

iii) Campus canteen, hostel mess, cafeteria, vendors, contractors, and service providers are advised to switch to biodegradable, compostable, paper-based, or reusable packaging materials.

iv) All Divisions/Sections are advised not to procure single-use plastic items for official purposes and to identify suitable sustainable alternatives.

v) During meetings, conferences, training programmes, and official functions, drinking water may be served through glass carafes, steel dispensers, or other reusable containers instead of packaged plastic bottles.

vi) All stakeholders are requested to extend their full cooperation in making the NIHFW campus clean, green, and plastic-free.

4. This Advisory is issued to facilitate a smooth transition before the proposed prohibition of Single-Use Plastics comes into effect on **02 October 2026**. All concerned are requested to take necessary action to ensure readiness and compliance from the effective date.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Admn.)

Copy to:

1. SPA to Director
2. SPA to Dy. Director
3. PA to Dean
4. All HoD's, Section Heads/In-Charges etc.
5. NHSRC, NCAHP, RBSK, SBI etc.
6. All Notice Boards
7. WMS – Guard File.

फा. सं. -23011/1/2025-WMS
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
(कार्यशाला एवं अनुरक्षण अनुभाग)

दिनांक- 21.08.2026

परामर्श

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में 02 अक्टूबर 2026 से एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के निषेध के संबंध में परामर्श।

पर्यावरण संरक्षण, सतत अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने के संबंध में भारत सरकार की पहलों के अनुसरण में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में 02 अक्टूबर 2026 से एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

2. प्रारंभिक चरण के रूप में, यह परामर्श सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं, निवासियों, आगंतुकों, विक्रेताओं, ठेकेदारों तथा अन्य हितधारकों को सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है, ताकि वे प्रतिबंध लागू होने से पहले ही आवश्यक तैयारियाँ कर लें और उपयुक्त पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएँ।

3. तदनुसार, सभी संबंधितों को निम्नलिखित उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है:

i) परिसर में प्लास्टिक के कैरी बैग, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक कप, गिलास, प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, स्टिरर तथा पैकेज्ड प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग से बचें।

ii) स्टील या काँच के बर्तनों, पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों, कपड़े या जूट के थैलों तथा अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों जैसी पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को प्राथमिकता दें।

iii) परिसर की कैंटीन, छात्रावास मेस, कैफेटेरिया, विक्रेताओं, ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को जैव-अपघटनीय, कम्पोस्ट योग्य, कागज-आधारित अथवा पुनः उपयोग योग्य पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

iv) सभी प्रभागों/अनुभागों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक प्रयोजनों के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद न करें तथा उपयुक्त सतत विकल्पों की पहचान करें।

v) बैठकों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आधिकारिक समारोहों के दौरान पैक प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर काँच की कैराफ, स्टील के डिस्पेंसर अथवा अन्य पुनः उपयोग योग्य पात्रों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

vi) सभी हितधारकों से अनुरोध है कि संस्थान के परिसर को स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक-मुक्त बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

4. यह परामर्श एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रस्तावित निषेध के 02 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने से पूर्व सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि प्रभावी तिथि से अपेक्षित तैयारी एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

यह परामर्श सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजय कुमार

(संजय कुमार)
उप-निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
2. उप निदेशक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
3. डीन के वैयक्तिक सहायक।
4. सभी विभागाध्यक्षों, अनुभाग प्रमुखों/प्रभारियों आदि को।
5. एनएचएसआरसी, एनसीएएचपी, आरबीएसके, एसबीआई आदि को।
6. सभी सूचना-पट्टों पर।
7. कार्य.अनु.अनु. - गार्ड फाइल।